

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2014/ज्येष्ठ 30, 1936

No. 1303]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2014/JYAISTHA 30, 1936

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2014

का.आ. 1566(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (इ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य, नई दिल्ली को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है और इस प्रयोजनार्थ, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 17 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 835(अ) में, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, निम्नलिखित अगला संशोधन करती है; अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2, उप-पैरा (ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(ख) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के तहत श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य, नई दिल्ली, सदस्य होंगी;''

> [फा. सं. 14011/48/2010-दिल्ली-II] इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जनवरी, 2011 के का. आ. 101(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 24 जून, 2011 के का. आ. 1453(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 के का. आ. 1628(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के का. आ. 835(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2012 के का. आ. 1737(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 के का. आ. 2134(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2013 के का. आ. 2308(अ), दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के का. आ. 2811(अ) और 28 जनवरी, 2014 के का. आ. 280(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2014

S.O. 1566(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Smt. Meenakshi Lekhi,

Member of Parliament, New Delhi as member of the New Delhi Municipal Council, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 835(E), dated the 17th April, 2012 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

In the said notification, in paragraph 2, for sub-paragraph (b) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:-

"(b) under clause (e) of sub-section (1) of Section 4, Smt. Meenakshi Lekhi, Member of Parliament, New Delhi shall be a member;"

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II]

IQBAL SINGH CHAHAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide S.O. 101(E) dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide S.O. 1453(E) dated the 24th June, 2011, S.O. 1628(E) dated the 14th July, 2011, S.O. 835(E) dated the 17th April, 2012, S.O. 1737(E) dated the 3rd August, 2012, S.O. 2133(E) dated the 9th July, 2013, S.O. 2134(E) dated the 9th July, 2013 and S.O. 2308(E) dated the 25th July, 2013, S.O. 2811(E) dated the 19th September, 2013 and S.O. 280(E) dated the 28th January, 2014.